न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
28/2023	18/04/2022	12/06/2023

1. देवपाल पुत्र छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी रोण तह0 पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. पारीबाई पत्नि स्व. छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा राज0
3. मनभरबाई पुत्री छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी रोण तह0 पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
4. मुर्तिबाई पुत्री छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी रोण तह0 पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
5. विधाबाई पुत्री छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी रोण तह0 पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधिनियम

वाद पत्र से संबंधित (1) ग्राम रोण तहसील पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 560/676 रकबा 0..32है., खसरा संख्या 568 रकबा 1.30है., कुल 2 किता की 1.62है. कृषि भूमि स्थित है। (2) ग्राम फुसोद तह. पीपल्दा जिला कोटा के माल में खसरा संख्या 944 रकबा 1.31है., खसरा संख्या 945 रकबा 0.19है., कुल किता 2 कुल रकबा 1.50है., (3) ग्राम फुसोद तह. पीपल्दा जिला कोटा के माल में खसरा संख्या 931 रकबा 0.09है., खसरा संख्या 932 रकबा 1.07है., कुल किता 2 कुल रकबा 1.16है. कृषि भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि से संबोधित की गई है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि से संबोधित की गई हे।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

उक्त भूमि वादी की कदीमी पैतृक भूमि है। वादी क्रम 1 का नाम देवपाल है तथा वादीगण के पिता व पति का नाम छीतरलाल है। किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा ग्राम रोण की खसरा संख्या 560/676 रकबा 0.. 32है.,खसरा संख्या 568 रकबा 1.30है., कुल 2 किता की 1.62है. कृषि भूमि स्थित है मे वादीगण के पिता व पति का नाम छीतरलाल के स्थान पर सीताराम अंकित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से दुरस्त किये जाने योग्य है इसी प्रकार ग्राम फुसोद की खसरा संख्या 944 रकबा 1.31है., खसरा संख्या 945 रकबा 0.19है., कुल किता 2 कुल रकबा 1.50है., कृषि भूमि में वादी क्रम 1 का नाम देवपाल के स्थान पर देवलाल अंकित कर दिया जो की त्रुटिपूर्ण होने से दुरस्त किये जाने योग्य है। क्योकि अन्य शासकीय दस्तावेजों में, वादीक्रम 1 का नाम देवपाल तथा वादीगण के पिता व पति का नाम छितरलाल ही अंकित है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में हो रही उक्त त्रुटि के कारण वादीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। जिसे परिशुद्ध किया जाकर विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख मे वादीक्रम 1 का नाम देवलाल पुत्र सीताराम के स्थान पर देवपाल पुत्र छितरलाल तथा वादीगण के पिता व पति का नाम सीताराम के स्थान पर छीतरलाल अंकित करवाने के विधिक अधिकारी है।

विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में हो रही उक्त त्रुटि के कारण वादीगण राजकीय कृषक कल्याण योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। उक्त त्रुटि सुधार हेतु वादीगण द्वारा प्रतिवादी से निवेदन करने पर भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। इस परिस्थिति में वादी के पास इस सम्मानीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी अनुतोष उपलब्ध नहीं है।

यह कि प्रस्तुत वाद में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा को भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरुद्ध वाद लाने के लिये धारा 80 दी. प्र. सं. के प्रावधानों की पालना आवश्यक हैं किन्तु राजस्व अभिलेख में हो रहे उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण वादी को घोर समस्याओं का सामना करना पड रहा है। इसलिए वाद की आपातिक दशा को देखते हुए वाद बगैर नोटिस दिये ही प्रस्तुत किया जा रहा

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

है। प्रतिवादी के विरुद्ध वाद करने की अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80 (2) दी.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र प्रथक् से प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण दिनांक 03.03.2023 वादी क्रम 1 द्वारा प्रतिवादी से ऊपरवर्णित पुटि परिशुद्ध करने बाबत निवेदन किया तो शासन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने बाबत हिदायत देने पर उत्पन्न हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से विनय है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष मे, विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय का निर्णय एवम् डिक्री पारित करने की कृपा करें :–

ग्राम रोण तहसील पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 560/676 रकबा 0..32है., खसरा संख्या 568 रकबा 1.30है., कुल 2 किता की 1.62है. भूमि मे वादीगण के पिता का नाम सीताराम के स्थान पर छीतरलाल दर्ज कर दिया जावे तथा ग्राम फुसोद तह. पीपल्दा जिला कोटा के माल मे खसरा संख्या 944 रकबा 1.31है., खसरा संख्या 945 रकबा 0.19है., कुल किता 2 कुल रकबा 1.50है., भूमि मे वादी क्रम 1 का नाम देवलाल के स्थान पर देवपाल अंकित कर दिया जावे तद्नुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प शहनावदा में पेश हुई। प्रकरण पटवारी हलका व भू0अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हलका व भू0अ0 निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में देवलाल पुत्र छीतरलाल निवासी रोण का ग्राम फुसोद की जमाबन्दी संवत 2075–78 में नाम के स्थान पर सम्मानजनक नाम देवपाल पुत्र छीतरलाल जांच की गई जो सही है। अतः सम्मानजनक नाम देवपाल पुत्र छीतरलाल का नाम दुरूस्ती के आदेश प्रदान किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी माल ग्राम रोण तहसील पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 560/676 रकबा 0..32है., खसरा संख्या 568 रकबा 1.30है., कुल 2 किता की 1.62है.

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

भूमि मे वादीगण के पिता का नाम सीताराम के स्थान पर छीतरलाल दर्ज कर दिया जावे तथा ग्राम फुरोद तह. पीपल्दा जिला कोटा के माल मे खसरा संख्या 944 रकबा 1.31है., खसरा संख्या 945 रकबा 0.19है., कुल किता 2 कुल रकबा 1.50है., भूमि मे वादी क्रम 1 का नाम देवलाल के स्थान पर देवपाल अंकित कर तहसीलदार पीपल्दा को तदनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जाता है।

विवादित आराजी यदि रहनभार हेतु यथावत रहेगा। प्रकरण कैम्प के दौरान निस्तारित किया गया है डिकी की आवश्यकता नहीं है। अतः तहसीलदार पीपल्दा को पालना हेतु तहदीर जारी हो। पत्रावली वाद तामिल तक्मील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

अंजना सहरावत
सहायक कलक्टर
इटावा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजि.,
इटावा जिला कोटा